न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 08/2009

सुरेश पुत्र पूरण जाति मीणा निवासी ओसवाल पेट्रोल पम्प के सामने, आदर्श मीणा कॉलोनी, दौसा जिला दौसा राज0 अपीलांट (फोत)
1/1 देवकी मीना पत्नि सुरेश चन्द मीना
1/2 वंशिका मीना पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
1/3 अंकित मीना पुत्र सुरेश चन्द मीना
1/4 मानसी मेवाल पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
समस्त जाति मीना निवासी सैंथल मोड, आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा राज.

..अपीलांट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. मु. शान्ति कथित बेवा पूरण जाति मीना निवासी ओसवाल पेट्रोल पम्प के सामने, आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा
2. अनिता कथित नाबालिग पुत्री पूरण
3. धन्नी नाबालिग पुत्री पूरण जरिये माता मु. शान्ति कथित बेवा पूरण
   समस्त जाति मीना निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा
4. सुनीता पुत्री पूरण पत्नि श्रवण कुमार जाति मीना निवासी सैथल मोड ,आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा हाल निवासी चक गेटोर खेडा प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
6. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
7. नायब तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
8. नाथूलाल पुत्र रामपाल
9. जगदीश प्रसाद पुत्र रामपाल
10. रामकरण पुत्र रामपाल
    समस्त जाति मीना निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा
11. तोफा पत्नि गंगासहाय पुत्री रामपाल जाति मीना निवासी ग्राम अगावली तहसील सिकराय जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 326 दिनांक 26.8.1996 खाता संख्या 594, 595 भूमि स्थित वाके कस्बा दौसा तह. दौसा तहसीलदार (नायब तहसीलदार) दौसा

उपस्थित—1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों. सं. 4 की ओर से।
3 श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक: 24.03.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा के दिनांक 25.7.1998 को ग्राम दौसा कलां का नामान्तरण सं0 326 दिनांक 26.8.1996 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट् व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर,दौसा

3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दफा 5 के प्रा0पत्र पर बहस में कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरण की कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा नामान्तरण की कार्यवाही के समय अपीलांट नाबालिग था एवं अपीलांट को उक्त नामान्तरण की कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पों. शान्ति ने कथित रूप से एक वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के यहाँ शांति बनाम नाथूलाल व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसका नोटिस दिनांक 8.6.2009 को प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी दिनांक 12.6.2009 को नकल प्राप्त हुई। अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों. एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता ने मियाद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट को विवादित नामान्तरण की शुरू से ही जानकारी थी। अतः अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पों. सं0 2 से 4 की दफा 05 के प्रा.पत्र सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि रामपाल पुत्र नन्दा विवादित भूमि का खातेदार था जिसका दिनांक 15.5.1987 को देहान्त हो गया जिसकी विरासत का नामान्तरण 26.8.19936 को खोला गया है। उक्त रामपाल पुत्र नन्दा मीना जाति के थे एवं मीना जाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते है। मृतक रामपाल के देहान्त के लगभग 11 वर्ष बाद प्रश्नगत नामान्तरण सं0 326 खोला गया। मृतक रामपाल के चार पुत्र क्रमशः नाथूलाल, जगदीश प्रसाद, रामकरण व पूरण थे जिनमें पूरण के दिनांक 3.6.1996 को फोत होने पर पूरण की पत्नि गोविंदी (फोत दिनांक 18.9.1984) व पुत्र सुरेश वके नाम सजरा है। मीना समाज में ऐसी परंपरा नहीं है कि खातेदार की मृत्यु पर महिला को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हो। रामपाल की विरासत का नामान्तरण उनकी मृत्यु के 11 वर्ष बाद खोला गया है। दिनांक 28.6.1996 को रामपाल के पुत्र पूरण का देहान्त हो चुका था। अधीनस्थ तहसीलदार नायब तहसीलदार दौसा ने इस बात की बिना जांच किये कि अपीलांट के पिता पूरण का देहान्त हो गया है उनके नाम भी नामान्तरण खोल दिया साथ ही उक्त विरासत के नामान्तरण में उनकी बेवा भूरी देवी के नाम भी नामान्तरण खोल दिया जबकि भूरी देवी का महिला होने के नाते उनकी संपत्ति में कोई लेना देना नहीं था। अपीलांट तत्समय नाबालिग था एवं अपीलांट को सुनवाई का भी तहसीलदार द्वारा अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ तहसीलदार का नामान्तरण संख्या 326 दिनांक 28.6.196 विधि विरूद्ध एवम तथ्यो के विपरीत होने के कारण [illegible] है। पारिवारिक सजरे के अनुसार रामपाल के चार पुत्र नाथूलाल, जगदीश व रामकरण एवं अपीलांट के पिता पूरण के हक में खोला जाना चाहिए था क्योंकि [illegible] 1996 से पूर्व दिनांक 3.6.1996 को ही हो गया था। लेकिन अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर ही नामान्तरण खोलने में कानूनी भूल की है। प्रश्नगत नामान्तरण दिनांक 26.8.1996 को खोला गया है उक्त दिनांक को अपीलांट का पिता पूरण जीवित नही था। कानूनन मृत व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरूद्ध कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

है। तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण खोलते समय अपीलांट नाबालिग था। अपीलांट की नाबालिगी का नाजायज लाभ उठाकर तत्समय रेस्पों0 ने उक्त गलत कार्यवाही तहसीलदार दौसा से मिलकर नामान्तरण खुलवाने की करवा ली। जहॉ तक नाथूलाल, जगदीश प्रसाद, व रामकरण का सवाल है उनके नाम जो नामान्तरण खोला गया है उससे अपीलांट का सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है क्योंकि वे रामपाल के उत्तराधिकारी है लेकिन उक्त नामान्तरण में जो भूरी का नाम अंकित किया गया है वह कानून निरस्तनीय है। क्योंकि भूरी देवी को मीणा जाति में प्रचलित रीति रिवाज व कानून अनुसार किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार रामपाल की मृत्यु के उपरांत प्राप्त नहीं हो सकते है। नामान्तरण के कॉलम नं0 16 में कथित रूप से किसी आदेश के द्वारा नामान्तरण खोलना बताया है लेकिन ऐसा कथित आदेश नामान्तरण के साथ चस्पा नहीं है। न ही इसका कोई विवरण उक्त नामान्तरण के कॉलम नंबर 16 में दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार नायब तहसीलदार दौसा का नामान्तरण सं0 326 दिनांक 28.6.1996 को निररस्त फरमाया जावे एवं उक्त नामान्तरण नाथूलाल, जगदीशप्रसाद, रामकरण व अपीलांट के नाम खोले जाने के आदेश फरमावें साथ ही उक्त नामान्तरण से भूरी बेवा रामपाल का नाम विलोपित फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता रेस्पों. एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में संयुक्त रूप से कथन किया तहसीलदार दौसा द्वारा खोला गया प्रश्नगत नामान्तरण विधिसम्मत रूप से खोला गया है। पटवारी हल्का द्वारा मृतक रामपाल पुत्र नन्दा के देहान्त होने पर उसके विधिक वारिसान नाथूलाल, जगदीश प्रसाद, पूरणचंद, रामकरण पि. रामपाल व भूरी बेवा रामपाल जाति मीना के नाम नामान्तरण भरा गया है। पटवारी हल्का द्वारा मृतक के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त दौसा के द्वारा जांच की गई है। जांच के उपरांत प्रश्नगत नामान्तरण को तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 26.8.1996 को तस्दीक किया गया है। अपीलांट ने गलत आधारों पर यह अपील पेश की है। अधिवक्ता रेस्पों0 ने यह भी कथन किया कि मीणा जाति पर भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
6. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।
7. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
    - अपील में प्रार्थी द्वारा मुख्य विवाद इस बिन्दु पर है कि नामान्तरण सं0 326 दिनांक 26.8.1996 को खोला गया था उसमें नामान्तरण रामपाल की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नि भूरी देवी के नाम भी खोल दिया जबकि मीणा जाति में प्रचलित रीति रिवाज व कानून के विपरीत है।
    - सुरेश की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान उसकी पत्नि देवकी वर्तमान में अपीलांट के रूप में दर्ज है एवं उनकी 3 नाबालिग पुत्र व पुत्रियां अपीलांट है। देवकी मीणा द्वारा दिनांक 11.2.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रेस्पों0 के नाम से खोले गये नामान्तरण पर अपनी अनापत्ति प्रकट की है एवं स्वयं का नाम जोडा जाकर नया नामान्तरण खोले जाने का निवेदन किया है।
    - चूंकि अब अपीलांट को [illegible] कोई विवाद नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। जहॉ तक [illegible] खोले जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपना प्रार्थना [illegible] प्रस्तुत कर सकते है एवं यह बिन्दु अपील के परे है।
    - साथ ही तहसीलदार, दौसा ने दिनांक [illegible]8.1996 को ग्राम कस्बा दौसा का नामान्तरण सं0 326 विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में मृतक रामपाल पुत्र नन्दा के फोत होने पर उसके विधिक वारिसान नाथूलाल, जगदीश प्रसाद, पूरणचंद, रामकरण पि. रामपाल व भूरी बेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा

रामपाल जाति मीना के नाम नामान्तरण भरा गया है। जिसको भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त दौसा के द्वारा जांच की गई है। जांच के उपरांत तहसीलदार दौसा द्वारा यह नामान्तरण विरासत का तस्दीक किया गया है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश जो कि नामान्तरण सं0 326 पर पारित किया गया है में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। हम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 326 दिनांक 26.8.1996 को यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

DW

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

DW

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:56 IST
Reason: SelfAttested